डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 04/2023-24 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/जीएचएसी/एचआईएएल/सीपी-III/2021-26

आदेश संख्या 04/ 2023-24

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

जीएमआर हैदराबाद एयर कार्गो (जी.एच.ए.सी) द्वारा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 24.04.2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

अध्याय 10: प्राधिकरण के निर्णयों का सार

जीएचएसी के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने संबंधी संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के निर्णयों का सार **इस प्रकार है:**

अध्याय संख्या	पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	**2.2.1**	प्राधिकरण इसके समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और पैरा 2.1.10 में दिए गए इसके विश्लेषण के आधार पर जीएचएसी के लिए आरजीआईए, हैदराबाद में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए **"लाइट टच अप्रोच" अपनाकर टैरिफ निर्धारित करने का निर्णय लेता है।**	09
अध्याय संख्या 3	3.6.1	जीएचएसी के संबंध में तालिका 03 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए के लिए अनुमानित कार्गो मात्राओं को मानना।	14
अध्याय संख्या 4	**4.8.1**	तालिका 10 में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी (कैपेक्स), मूल्यह्लास और औसत आरएबी के परिवर्धनों को मानना।	24
अध्याय संख्या 5	**5.6.1**	तालिका 12 के अनुसार इक्विटी की लागत, ऋण की लागत और एफआरओआर को मानना।	27
अध्याय संख्या 6	**6.6.1**	जीएचएसी के लिए तालिका 16 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के संबंध में प्रचालन खर्च को मानना।	36
अध्याय संख्या 8	**8.6.1**	जीएचएसी के लिए तालिका 19 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानना।	45
	8.6.2	जीएचएसी के लिए **संलग्नक–I** के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए संशोधित टैरिफ दरों को मानना।	
अध्याय संख्या 9	**9.6.1**	आईएसपी के संबंध में तालिका 21 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित लाभ विवरण को मानना।	48

अध्याय 11. <u>आदेश</u>

प्राधिकरण इसके समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता है कि:

(i) जीएचएसी द्वारा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आरजीआईए) हैदराबाद में प्रदान की जा रही कार्गो हैंडलिंग संबंधी सेवाएं 'मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी' मानी जाती है। प्राधिकरण जीएचएसी के लिए आरजीआईए, हैदराबाद में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में प्रयोक्ता करारों के औचित्य और हितधारकों के परामर्श के आधार पर '**लाइट टच अप्रोच'** अपनाकर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने का निर्णय लेता है।

(ii) जीएचएसी को तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए 01.05.2023 से 31.03.2026 तक के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए **संलग्नक –I** के अनुसार टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

(iii) इसमें निर्धारित टैरिफ वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ है। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए ।

(iv) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों में सभी लागू कर शामिल नहीं है।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री सौरभ कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एयर कार्गो,
(जीएमआर एयर कार्गो और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड का प्रभाग)
प्लाट नं. 1 जीएमआर एयरोस्पेस पार्क जीएमआर हैदराबाद एसईजेड लिमिटेड,
राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
शम्शाबाद, हैदरबाद -500108

प्रतिलिपि :

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003 को सूचनार्थ